

-:प्रोन्नति आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29-07-2024 में की गयी संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान सहायक (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्र०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम/श्री/श्रीमती/कु०:-	वर्तमान तैनाती स्थल	जन्म तिथि
1	2	3	4	5
01	2845एई	रजत कुमार दीक्षित/ प्रकाश चन्द्र दीक्षित	मुख्यालय	01/07/1987
02	2845एएच	विशाल सैनी/ विनोद कुमार सैनी	आगरा	02/08/1988
03	2846	कैलाश चन्द्र जोशी/ मोहन चन्द्र जोशी	आगरा	21/08/1988
04	2921	प्रतिमा सिंह/ विनय कुमार सिंह	गौतमबुद्धनगर	02/07/1965
05	3113	आशीष चतुर्वेदी/ वेद प्रकाश चतुर्वेदी (दृष्टि बाधित दिव्यांग)	बुलन्दशहर	20/06/1989
06	3909	जसवन्त सिंह / फूल सिंह (श्रवण क्षय दिव्यांग)	बरेली	05/07/1986
07	2991	राज कुमार यादव/ राज नारायण यादव (चलन क्रिया दिव्यांग)	जौनपुर	15/10/1968
08	3394	शिवानी त्रिपाठी/ अनुराग त्रिपाठी (दृष्टि बाधित दिव्यांग)	कानपुर	03/07/1992
09	3149	सौरभ कुमार / विजय कुमार (चलन क्रिया दिव्यांग)	मुख्यालय	29/05/1993
10	3951	राहुल कुमार / अजब सिंह (दृष्टि बाधित दिव्यांग)	मुरादाबाद	01/03/1990
11	3154	प्रशान्त कुमार / गोविन्द सिंह (चलन क्रिया दिव्यांग)	झाँसी	18/01/1990
12	3313	राज कुमार तिवारी/ शिवराम तिवारी (चलन क्रिया दिव्यांग)	लखनऊ	25/06/1978
13	3802	अजय कुमार पाठक/ अशोक कुमार पाठक (चलन क्रिया दिव्यांग)	लखनऊ	29/01/1989
14	3839	योगिता अग्निहोत्री/ अशोक अग्निहोत्री (चलन क्रिया दिव्यांग)	कानपुर	08-10-1987

2- उपरोक्त क्रमांक-01 (ज्येष्ठता क्रमांक-2845एई, क्रमांक-02 (ज्येष्ठता क्रमांक-2845एएच), क्रमांक-03 (ज्येष्ठता क्रमांक-2846) को दिनांक 06-03-2024 से तथा क्रमांक-04 (ज्येष्ठता क्रमांक-2921) को दिनांक 24-05-2024 से प्रधान सहायक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। " नो वर्क नो पे " के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति के लिए इन्हें कोई परियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक-21-08-2024 तक कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम/ द्वितीय, बरेली, वाराणसी जोन प्रथम/ द्वितीय, कानपुर जोन प्रथम/ द्वितीय, झांसी, लखनऊ जोन प्रथम/ द्वितीय, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा, आगरा।
- 3- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्भाग ए/बी/सी गाजियाबाद, बरेली, वाराणसी, कानपुर, झांसी, लखनऊ, नोयडा, मुरादाबाद, आगरा।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर बुलन्दशहर, आगरा, नोयडा, बरेली, जौनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ, मुख्यालय।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, बुलन्दशहर, आगरा, नोयडा, बरेली, जौनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ, मुख्यालय।
- 7- पटल प्रभारी स्था-4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।

(अखिलेन्द्र कुमार)

उपायुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।